अनुसूचि 21-प्रपत्र संख्या - 113

7 83/18

सम्पत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या - आवेदन संख्या R.T.P.S. No. 1800753

चूँकि श्री अशोक सिंह पिता स्व० अमरदेव सिंह ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित सव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और इसके सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2005 से ता० to upto date तक तलासी की गई और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :- No

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा yusufpur		थाना नं-157					
	खाता नं 1046		खेसरा नं 30958 3101	रकबा 9975 sq. ft.				

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य [illegible] और अवभारों का पता नहीं चला है ।

[illegible] व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

हस्ताक्षर) :- [illegible]

पदनाम) :- [illegible]

[illegible] का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर) :- [illegible]

पदनाम) :-

कार्यालय

मुहर

तारीख

निबंधन पदाधिकारी हा हस्ताक्षर
19.6.18

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति का विवरण के अनुसार पाये है यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही संपत्तियों की दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहारा (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे ।

निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभार के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेगी ।

किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदन ने स्वयं तलाशी नही की है, इसलिए कार्यालय ने उपेक्षित तालाशी अपने भरसक सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के किसी भी तरह जिम्मेदार नही होगा ।

और, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिखा गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों का छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभार पड़ता हो ।

शापांक - 1197 निदि/ब्रो दिनांक - 19/6/18

आवेदक का नाम — अशोक सिंह

प्रतिलिपि :- [illegible]

Allahabad Bank Hajipur

Date - 19.6.18

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
19.6.18